

प्रेषक,

आयुक्त,

कानपुर, मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,

नई दिल्ली।

पत्रांक: /सं०शि०नि०/ /एन०ओ०सी०/2010-11 दिनांक: 7/8/2010
विषय:- सुदिति ग्लोबल एकेडमी, आगरा रोड, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश संख्या 1916/15-7-091(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 06.08.2010 में लिये गये निर्णयानुसार सुदिति ग्लोबल एकेडमी, आगरा रोड, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 - 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
 - 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय
 (अमित कुमार घोष)
 आयुक्त
 कानपुर मण्डल

- पुं०सं०सी०/१७६५-१० /2010-11 तददिनांक।
- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
 - 2- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
 - 5- प्रबन्धक, सुदिति ग्लोबल एकेडमी, आगरा रोड, इटावा।
 - 6- गार्ड फाइल।

श्रीमती माया निरंजन
 संयुक्त शिक्षा निदेशक,
 कानपुर मण्डल, कानपुर/
 सचिव मण्डलीय समिति